विचार बिन्दु

हिंसा के मुकाबले में लाचारी का भाव आना अहिंसा नहीं कायरता है। अहिंसा को कायरता के साथ नहीं मिलाना चाहिए। –महात्मा गाँधी

क्या हिजाब के विवाद के निराकरण का कोर्ट के अतिरिक्त अन्य विकल्प भी हो सकता है?

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम हिन्दू-मुसलमान हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें गर्व था कि संविधान ने जहाँ देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया, साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रतता का मूल अधिकार भी दे दिया, किन्तु उसे लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहने दिया साथ ही धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को दे दिया और धार्मिक आचरण (Religious Practice) को रेगूलेट करने के बाबत राज्य को अधिकार दिया। इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार सुरक्षित कर दिया। धार्मिक आचरण के बाबत सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सन 1954 ही में यह निर्णय दिया कि ऐसी धार्मिक प्रेक्टिस धर्म का मुख्य भाग होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 25 में यही संदेश दिया है तथा अनुच्छेद 29 में यह घोषणा की कि कोई धार्मिक अल्पसंख्यक जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा है उसे उनकी संरक्षण का मूल अधिकार होगा।

प्रस्तुत विवाद कर्नाटक राज्य से है और हिजाब पहनने से संबंध रखता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मुसलमान कन्या विद्यार्थियों पर हिजाब पहनने पर निषेध आदेश उचित है। राज्य ने हिजाब पर प्रतिबंध कुछ स्कूलों पर लगाया था। कर्नाटक राज्य की ओर से दलील दी गई है कि हिजाब का प्रश्न स्कूल यूनिफार्म के लिये नहीं है। सन 2021 से पूर्व हिजाब पर कोई विवाद ही नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ जिसके माननीय सदस्य जस्टिस हेमन्त गुप्ता व जस्टिस धूलिया हैं। इस पीठ के समक्ष 23 पिटीशन्स के बेच पर सुनवाई हो रही है इस खण्डपीठ के समक्ष दो प्रकार के केसेज हैं। एक वे हैं जो रिट पिटीशन से संबंध रखता है जिनमें मुस्लिम बालिका स्टूडेन्टस ने हिजाब पहनने के अपने अधिकार के हेतु कोर्ट से गुहार की है। दूसरे वे केसेज हैं जो एसएलपी के हैं, इनमें कर्नाटक हाईकोर्ट के 15.03.2022 के निर्णय को चुनौती दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश दिनांक 05.02.2022 को सही माना है, जिससे पिटीशनर्स जो प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के मुस्लिम स्टूडेन्ट्स हैं उन्हें हिजाब पहनने से निषेधित किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह करार दिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम में Essential Religious Practice नहीं है। पूर्ण पीठ ने यह निर्णय दिया कि शिक्षण संस्थाओं में यूनिफार्म पहनना पिटीशनर्स के मूल अधिकार का अतिरेक नहीं करता। इन केसेज में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट प्रशान्त भूषण, सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी, राजीव धवन, हुजेफा अहमदी आदि ने पक्षकारों की ओर से बहस की है। सरकार की ओर से श्री तुषार मेहता, सोलिसीटर जनरल ने बहस की है। कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी व एएसजी नटराजन ने राज्य की ओर से तथा कॉलेज टीचर्स की ओर से शेशाद्री नायडू व वी. मोहन ने भी बहस में भाग लिया। इनका कहना था कि यूनिफार्म के बाबत विवाद नहीं होना चाहिये। यूनिफार्म का संबंध विद्यार्थियों में समानता की भावना पैदा करना है। यहाँ अनुच्छेद 14 भी मददगार है। सीनियर एडवोकेट आर. वेंकटरमानी ने बहस में कहा कि स्कूल सभी धार्मिक तत्वों से परे होने चाहिये।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह सुझाव दिया है कि केस को संविधान पीठ को निर्णय हेतु भेजा जाना चाहिये। यह बहस भी की है कि इस केस में केवल अनुच्छेद 19 पर ही बहस सीमित नहीं है अपितु वह (Concept of qualified public space) का केस है। इसके अलावा हिजाब पहनना एक Cultural Right है जो अनुच्छेद 29 के तहत् अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। सीनियर एडवोकेट प्रशान्त भूषण की बहस है कि पिटीशनर्स के लिये यह बताना आवश्यक नहीं है कि यह केस Essential Religious Practice का है, अपितु उन्हें केवल यह बतलाना है कि महिलाओं का हिजाब पहनना सदभाविक प्रेक्टिस है तथा साथ ही उनकी बहस यह भी है कि पब्लिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा ड्रेस कोड लागू नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कहना है कि हिजाब पर प्रतिबंध उसी समय लगाया जा सकता है जब 'पगड़ी' पर भी यह लागू हो, अन्यथा प्रतिबंध संवैधानिक नहीं है। हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत मूल अधिकार है।

2021 से पूर्व तक हिजाब कोई विवाद था ही नहीं। ऐसी स्थिति (यदि यह सच है तो) उसे अपनाया जा सकता है तथा इस विवादास्पद प्रश्न को बिना फैसला किये आपसी सदभाव से सुलझाया जाना चाहिये। आपसी सहमति से पिटीशन विद्ड्रो की जा सकती है।

सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी, अनिल धवन (Intervenor) व हुजैफा अहमदी की बहस थी कि राज्य की आज्ञा दिनांक 05.02.2022 जिससे हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है वह संविधान में जो Fraternity का Concept दिया है उसके विरूद्ध है। अहमदी की बहस थी कि स्कूल में हिजाब की मनाई, वास्तव में मुस्लिम गर्ल विद्यार्थियों को स्कूल छोडने पर बाध्य करने वाला है। एडवोकेट अहमदी ने यह भी बहस की कि केस संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिये। उनका यह भी सुझाव था कि Essential Religious Practice मानने का क्या टेस्ट है, यह कहीं परिभाषित नहीं है अत: संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिये जैसे सबरीमाला वाले केस में किया गया था। जस्टिस धूलिया के पूछने पर अहमदी ने कहा सबरीमाला के केस में कोर्ट को यह निर्धारित करना था कि Essential Religious Practice के मापदण्ड क्या होने चहिये? अत: माननीय पीठ को केस के निर्णय तक इस केस की सुनवाई रोक देना अपेक्षित है।

केस में दोनों पक्षों की ओर से बहस का स्तर ऊँचा है, किन्तु मूल प्रश्न तो यही माना जावेगा कि Essential Religious Practice क्या है और क्या हिजाब की प्रेक्टिस Essential Religious Practice है। कई प्रश्न माननीय खण्डपीठ के दोनों न्यायाधीशों ने उठाये हैं।

दिनांक 20 सितम्बर 2022 को बहस का आठवां दिन था, उस दिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वकीलों के समक्ष प्रश्न किया कि क्या कर्नाटक हाईकोर्ट को Essential Religious Practice धर्म का अभिन्न अंग पर सुनवाई करनी चाहिये थी? ऐसा प्रतीत होता है माननीय जस्टिस धूलिया संभवत: इस धारणा के हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट को इस पर सुनाई नहीं करनी चाहिये थी। सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि उक्त प्रश्न पर हाईकोर्ट को विचार नहीं करना चाहिये। एडवोकेट धूलिया ने कहा कि पुस्तक Veild Women Hijab, Religious, AND Cultural Practice 2013 में हिजाब को एक Cultural Practice माना जा सकता है। पिटीशनर की ओर से कुरान पढकर यह भी समझाने का प्रयास किया गया कि कुरान में हिजाब का उल्लेख करने मात्र से Essential Religious Practice नहीं हो सकती। तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब का मुद्दा (विवाद) एकाएक उठाया गया विवाद नहीं है अपितु प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के एक षडयंत्र का परिणाम है। उन्होंने कनार्टक सरकार की पैरवी करते हुये कहा कि 2021 से पूर्व लडकियां हिजाब नहीं पहन रही थीं। उन्होंने दिनांक 05.02.2022 की राज्य की आज्ञा को उचित माना है। कई पुस्तकों में यह समझाया गया है कि सिर ढकना एक अच्छी परम्परा मात्र है जिसका महिला के लाज से संबंध है। कर्नाटक के ए.जी. ने कहा कि Essential Religious Practice का निर्णय उस धर्म की Doctrine पर आधारित होता है। मि. पाशा ने इस्लाम के पांच आवश्यक पार्ट माने हैं, किन्तु उनमें हिजाब नहीं है। सीनियर एडवोकेट दवे ने मुस्लिम पक्ष का समर्थन करते हुये कहा कि यह राज्य का मुसलमानों को अलग करने का प्रयास है। हिजाब पहनना गरिमा का प्रतीक है।

दिनांक 20.09.2022 की टीवी की न्यूज में समाचार थे "ईरान में हिजाब के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन"। वस्तुत: जस्टिस धूलिया ने पूछा था क्या कोई ऐसा देश है जहां मुस्लिम महिलायें हिजाब के विरूद्ध हैं इसका उत्तर था ईरान में मुस्लिम महिलायें हिजाब पर प्रदर्शन कर रही हैं।

उपरोक्त विचारों के मंथन से यह माना जा सकता है कि हिजाब धर्म का विशिष्ट व अभिन्न अंग नहीं है न इसका संबंध धर्म के आचरण से है। यह भी बहस से स्पष्ट समझ में नहीं आता है कि ड्रेस कोड से हटकर इसे पहनना क्यों कर आवश्यक है? सरकार की आज्ञा दिनांक 5.2.2022 से पूर्व कुछ एक स्कूलों में जो स्थिति थी उसके अनुसार केवल कुछ मुस्लिम कन्या विद्यार्थी स्कूल में पहुंचने तक हिजाब पहिनकर आती थीं। ड्रेस रूप में उसे हटाकर स्कूल की ड्रेस में क्लास में जाती थीं और जाते समय फिर हिजाब धारण कर लेती थीं। 2021 से पूर्व तक हिजाब कोई विवाद था ही नहीं। ऐसी स्थिति (यदि यह सच है तो) उसे अपनाया जा सकता है तथा इस विवादास्पद प्रश्न को बिना फैसला किये आपसी सदभाव से सुलझाया जाना चाहिये। आपसी सहमति से पिटीशन विद्ड्रो की जा सकती है।

दूसरा मार्ग यह होना चाहिये कि हमेशा के लिये इस प्रश्न को संविधान पीठ को भेजकर, निर्णय करा लिया जावे। राष्ट्रगान का मामला, सबरीमाला का तीन तलाक जैसे केस पुन: नहीं होने चाहिये। यह तयशुदा है कि प्रत्येक धार्मिक प्रेक्टिस धर्म का अभिन्न अंग नहीं है।

तीसरा मार्ग है, यह मान लिया जावे कि हिजाब पहिनना धर्म के आचरण का अभिन्न अंग नहीं है और अनुच्छेद 29 व 25 में यद्यपि कोई अपवाद नहीं है किन्तु दोनों धर्मों के मानने वाले धर्म गुरू व नेतागण कोई रास्ता निकालकर समस्या का हल निकाल लें। एक दूसरे को Accommodate या Adjust करना ही प्रियम्बल की FRATERNITY की भावना है और भारत की एकता व अखण्डता को बनाये रखने की सफलता की कुंजी है तथा देश के समस्त नागरिकों का पावन कर्त्तव्य है कि वे धर्म, जाति के बंधन को तोडकर संविधान के अनुच्छेद 51ए (सी) (ई) में दर्शाये मूल कर्त्तव्यों की पालना करेंगे।

उपरोक्त कथन कोर्ट में चल रही बहस पर आधारित है, अत: कोई भी यह नहीं बता सकता निर्णय क्या होगा? हमें प्रतीक्षा करनी होगी निर्णय की। निर्णय आपसी सहमति से हो वह सुबह कब आयेगी?

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी शिविर में देश विदेश से कई नामचीन कलाकार भाग ले रहे

- शिविर में बांग्लादेश, ईरान, इजिप्ट तथा भारत के 42 कलाकार भाग ले रहे हैं
- म्यूरल आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ आज

उदयपुर, (कासं)। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से ग्रामीण कला परिसर शिल्पग्राम में गुरूवार को 'अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी कैम्प' का दीप प्रज्ज्वलन से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.के. तिवारी, चेयरमेन उत्तरप्रदेश रोडवेज एवं शिव सिंह सारंगदेवोत, कुलपति, विद्यापीठ उपस्थित थे। शिविर में बांग्लादेश, ईरान, इजिप्ट तथा भारत के 42 कलाकार भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर मुरलीधर अरोड़ा द्वारा रचित पुस्तक नमन का विमोचन भी किया गया। यह 'अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी कैम्प' 26 सितम्बर तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से कई नामचीन कलाकार भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही शिल्पग्राम में ही 23 सितम्बर से लोगों के लिये कैलीग्राफी वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को कैलीग्राफी में कार्य व सृजन की जानकारी दिये जाने के साथ सृजनात्मक कार्य करवाया जायेगा। 23 सितम्बर को म्यूरल आर्ट कला प्रदर्शनी का बागोर की हवेली में शुभारंभ होगा।

केन्द्र निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि दृश्य कला में कैलीग्राफी एक ऐसी अनूठी विधा है जिसमें आज कई देश के कलाकार काम कर रहे हैं। कैलीग्राफी एक प्राचीन विधा है जिसे अक्षरांकन, चित्रण अथवा सुलेख एक अक्षर कला है।

इसकी सहायता से ब्रश क्रोकिल विभिन्न तरीके व स्ट्रोक के फाउण्टेन पेन व निब की सहायता से एक विशिष्ट शैली की स्वयं की लिखाई की डिजाइन प्रक्रिया को सीखा व अपनाया जाता है। आजकल का अक्षरांकन हस्तनिर्मित से लेकर कंप्यूटर के द्वारा निर्मित किया जाता है।

समकालीन कैलीग्राफी को कुछ इस तरह परिभाषित किया जा सकता है– 'संकेतों को एक अर्थपूर्ण, सुव्यवस्थित और कौशलपूर्ण तरीके से आकार प्रदान करने की कला है।' आधुनिक कैलीग्राफी के विविध परिक्षेत्र मे क्रियात्मक अभिलेखों और डिजाइन से लेकर ललित कला के वे नमूने भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यह विधा आज भी विश्व के कई देशों में प्रचलित है किन्तु तकनीकी विकास के साथ-साथ इस कला को भुला सा दिया गया। केन्द्र द्वारा इस कला को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिल्पग्राम में अंतर्राष्ट्रीय कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।

उदयपुर के शिल्पग्राम में 'अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी कैम्प' की शुरूआत आर.के. तिवारी चेयरमैन उत्तरप्रदेश रोडवेज व एस.एस. सारंगदेवोत कुलपति विद्यापीठ ने की।

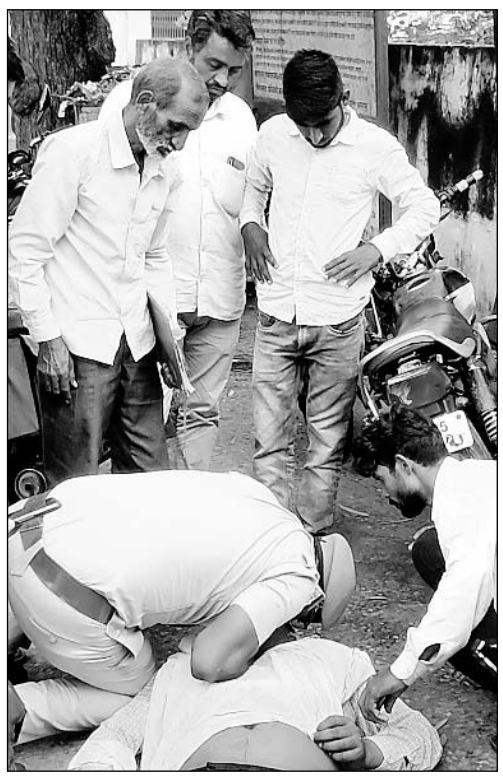

एएसआई ने सीआरपी थैरेपी देकर बचाई युवक की जान

नदबई, (निसं)। तहसील परिसर में लखनपुर पुलिस थाने पर कार्यरत एएसआई मुंशीलाल मीणा का मानवीय चेहरा नजर आया। जब, एएसआई ने अपने कार्यो को छोड़ जमीन पर गिरे बेहोश युवक की स्थिति को देखते हुए सीआरपी थैरेपी देकर युवक की जान बचाई। इतना ही नही होश आने पर एएसआई ने ई-रिक्शा की सहायता से युवक को सीएचसी पर भर्ती कराया।

एएसआई के मानवीय चेहरे की तहसील परिसर में जमकर तारीफ हो रही। नदबई क्षेत्र के गांव नगला मई निवासी जीतेन्द्र उर्फ झण्डू तहसील परिसर में घूम रहा था। इसी दौरान अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर गया। अचानक युवक को गिरने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान तहसील परिसर में मौजूद लखनपुर पुलिस थाने पर कार्यरत एएसआई मुंशीलाल मीणा ने मौके पर पहुंच युवक को होश में लाने का प्रयास किया। बाद में अपने बेहोश युवक को सीआरपी थेरेपी दी। करीब दस मिनिट की मशक्कत के बाद युवक को होश आया।

रेलवे ने मनाया स्वच्छ नीर दिवस, स्टेशनों पर पानी के सैंपल लिए

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर रेल मंडल द्वारा 16 सितंबर से 02 अक्टूबर तक मनाये जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत गुरुवार को स्वच्छ नीर दिवस मनाया गया। भारतीय रेल के विभिन्न स्टेशनों पर और भिन्न-भिन्न प्रतिष्ठानों में स्वच्छता विषय पर सेमिनार आदि प्रचार कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागृत किया जा रहा है।

मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडेय ने बताया कि गुरुवार को स्वच्छ नीर दिवस के तहत जोधपुर मंडल पर स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों, कार्यालयों और स्कूलों में मेडिकल टीम द्वारा पानी के नमूने लिये गये एवं क्लोरिन टेस्ट किया। स्वच्छ जागरूकता के तहत जल बचाओ जीवन बचाओ और पृथ्वी बचाओ का संदेश दिया गया। साथ ही रेलवे परिसरों, कॉलोनियों, यात्रियों एवं कर्मचारियों को स्टेशनों में जल न फैलाने के लिए जागरूक किया गया। रेलवे कार्यालयों एवं स्टेशनो पर वाटर लिकेज चैक कर उनको ठीक किया गया।

स्वच्छ नीर दिवस के क्रम में जोधपुर, मेडतारोड, नागौर, बाड़मेर, पाली मारवाड़ आदि स्टेशनो पर पानी को चैक किया गया ओर पानी के सैम्पल लिये गये। स्टेशनो पर स्थित वाटर बूथ के पानी मे क्लोरिन एवं स्वचछता जांची गई। पानी का टी.डी.एस. चैक किया गया। स्टेशन पर स्थित वाटर कूलर, वाटर बूथ, प्याऊ की गहनता से साफ सफाई की गई तथा मंडल के कर्मचारियो द्वारा श्रमदान कर गहन सफाई की गई।

''जैंडर रैस्पाँसिव गवर्नेंस'' विषय पर कार्यशाला आयोजित

- पांच राज्यों से 25 महिला विधायक पहुंचीं उदयपुर

उदयपुर, (कासं)। महिला जनप्रतिनिधि भी अपनी पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ आमजन के लिए कार्य कर सके इसलिए नेशनल जेंडर एवं चाइल्ड सेंटर (एनजीसीसी) लाबासना द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से देश के विभिन्न राज्यों की महिला विधायकों की तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रेडिसन ब्लू में किया जा रहा है।

यह कार्यशाला 'शी इज चेंजमेकर' प्रोजेक्ट के अंतर्गत 'जेंडर रेस्पोंसिव गवर्नेंस' विषय पर आयोजित की जा रही है जहां महिला जनप्रतिनिधियों का कौशल बढ ाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ , उडीसा, महाराष्ट्र राज्यों की 25 महिला विधायक शामिल हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिला विधायकों की क्षमता संवर्धन करना और उन्हें जागरूक करना है जिससे वे प्रभावी तौर पर अपना कर्तव्य निर्वहन कर सके।

तेलंगाना की राज्यपाल डॉ तमिलिसै सौंदरराजन द्वारा उदघाटन सत्र को संबोधित किया गया। उद्घाटन सत्र में तेलंगाना राज्यपाल सौंदरराजन ने महिला जनप्रतिनिधियों की देश निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डाला और उन्हें महत्वपूर्ण स्तम्भ बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अब आगे आना चाहिए और समाज को उन्हें सहयोग देना चाहिए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा, दिशा पन्नू कार्यकारी निदेशक एनजीसीसी, उप निदेशक लबासना, एसोसिएट प्रोफेसर लबासना अंजली चौहान एवं संगीता बिष्ट आदि उपस्थित रहे। लबासना के निदेशक श्रीनिवास कतिकिथाला वर्चुअल तौर पर कार्यक्रम से जुड़े।

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कार्यशाला की महत्ता पर प्रकाश डाला एवं कहा कि हर महिला एक लीडर है बस उनमें निर्णय लेने की क्षमता, संवाद करने की क्षमता का विकास करना है। आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महिला जनप्रतिनिधियों में लीडरशिप क्वालिटी की अहमियत पर प्रकाश डाला और महिला विधायकों से आत्मविश्वास से भरपूर रहने की बात कही।

उदयपुर में ''शी इज चेंजमेकर'' प्रोजेक्ट के अंतर्गत ''जैंडर रैस्पाँसिव गवर्नेंस'' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

राशिफल शुक्रवार 23 सितम्बर, 2022

पंडित अनिल शर्मा

आश्विनी मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, मघा नक्षत्र रात्रि 3:50 तक, सिद्ध योग प्रात: 9:55 तक, गर करण दिन 1:54 तक, चन्द्रमा सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-वृष, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-सिंह, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्ध योग रात्रि 3:50 से सूर्योदय तक है। आज भद्रा रात्रि 2:31 से शनिवार दिन 2:52 तक है। आज सायन तुला में सूर्य प्रवेश प्रात: 6:34 पर होगा। आज सूर्य दक्षिण गोल में प्रवेश करेगा। आज विषुव दिन है। आज प्रदोष व्रत वालियुगादि-तिथि है और युगाब्द 5:24 आरम्भ होगा। आज शरद संपात, तेरस और मघा का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:49 तक, लाभ-अमृत 7:49 से 10:49 तक, शुभ 12:19 से 1: 49 तक, चर 4:49 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:19, सूर्यास्त 6:19

मेष
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

धनु
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता से मनोबल बढ़ेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज मन में असंतोष और भय बना रहेगा।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटके हुए व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

कुंभ
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता और योजनानुसार बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।